दलनायक, स्टोर
पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

इस मुख्यालय के संज्ञानोपरान्त समस्त पीएसी जोन/पीएसी अनुभाग/पीएसी वाहिनियों, एसडीआरएफ वाहिनी, सुरक्षा वाहिनी से प्राप्त सूचना के अवलोकन से पाया गया कि आयकर/जीएसटी कार्य हेतु भुगतान की जा रही फीस में अन्तर है। फीस में विद्यमान अन्तर से स्पष्ट है कि इस महत्वपूर्ण कार्य की गुणवत्ता में भी अन्तर होगा।

2— बदलते परिवेश में समुचित वित्तीय प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुए उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराए जाने की व्यवस्था प्रदान करने हेतु आयकर/जीएसटी का कार्य एकीकृत रूप से एक चार्टर्ड एकाउण्टेंट से कराए जाने की आवश्यकता है।

3— अतएव 3—पीएसी जोन, 7—पीएसी अनुभाग, 33—पीएसी वाहिनी, 1—एसडीआरएफ वाहिनी एवं 1—विशेष सुरक्षा वाहिनी में आयकर/जीएसटी का कार्य एकीकृत रूप से एक चार्टर्ड एकाउण्टेंट से उचित दर पर कराए जाने की व्यवस्था की जानी है।

4— अतः आप चार्टर्ड एकाउण्टेंट/फर्मों से सम्पर्क कर, मार्केट सर्वे कर, नोटिस बोर्ड में चस्पा कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन तीन या अधिक कोटेशन नियमानुसार प्राप्त करें तथा न्यूनतम/अधिकतम कोटेशन स्वीकृत/अस्वीकृत कराकर आंकिक को एक सप्ताह में उपलब्ध कराएंः—

1—फर्म भारतवर्ष की निवासी प्रास्थिति की हो।
2—फर्म/उसके भागीदार को टीडीएस के ई—रिटर्न फाइलिंग का 07 वर्षो का अनुभव हो।
3—फर्म/फर्म के कोई भागीदार को कभी—किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में न डाला गया हो।
4—फर्म पर कोई देय बकाया न हो।
5—फर्म में कार्य सम्पादन हेतु पर्याप्त सुविधाएं, जैसे कार्यालय, सहयोगी स्टाफ आदि उपलब्ध हो।
6—फर्म के पास सरकारी विभाग में कार्य सम्पन्न कराने का अनुभव हो।
7—फर्म के पास कस्टमर केयर नं0, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नं0, फोन नं0 उपलब्ध हो।
8—जोन, अनुभाग, एवं वाहिनी कार्यालय हेतु अलग—अलग प्रतितिमाही फीस की दर प्रदर्शित हो।
9—संबंधित कार्यालय द्वारा कार्य कराया जाएगा तथा भुगतान भी वहीं से होगा।

पत्र संख्याःआंकिक—मैमो/2019
दिनांकःसितम्बर, 6 2019

6/9/19
(शरद सचान)
पुलिस महानिरीक्षक, ''पी''
उत्तर प्रदेश पीएसी मुख्यालय,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः प्रभारी सर्वर, पीएसी मुख्यालय लखनऊ को वेव—साइट पर अपलोड करने हेतु।